


03.09.25 पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित ।

प्रार्थी के निवेदन पर इसका मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है । अतः यह प्रार्थना पर ट्रिप्टीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली वाद तरीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर तुलै न्यायालय

में सुनाया गया ।


(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS.